कार्यालय कलेक्टर जिला–मुरैना म.प्र. एवं पदेन उपसचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग,

प्र0 क्र0 08 / अ–82 / भू–अर्जन / 2020–21 / ती.रे.ला. / नूराबाद अति. / 1900 मुरैना दिनांक : 06/02/2021

अधिसूचना

(भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झाँसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम– **नूराबाद** प0ह0क0–02 रा0नि0 वृत–22 तहसील –**बामौर** उपखण्ड– **मुरैना** जिला–**मुरैना** में कुल **0.077** हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम– **नूराबाद** प0ह0क0–02 रा0नि0 वृत–22 तहसील– **मुरैना** उपखण्ड–**मुरैना** जिला–**मुरैना** में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील बामौर
ग. ग्राम **नूराबाद**
घ. लगभग क्षेत्रफल **0.077** हैक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्र. स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	679 / 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	हरिमोहन पुत्र हाकिमसिंह जाति गू ठा पता निवासी ग्राम
2	678	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.047	हरिमोहन पुत्र हाकिमसिंह जाति गू ठा पता निवासी ग्राम
कुल किता 02				0.077	

1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू–अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) **मुरैना** के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :-धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

स्थान : मुरैना
तारीख 6/2/21

(बी. कार्तिकेयन)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला–मुरैना (म0प्र0)

प्र0 क्र0 08/अ–82/भू–अर्जन/2020–21/ती.रे.ला./नूराबाद अति./1900 मुरैना दिनांक : 6/2/2021
प्रतिलिपि :–

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
2. कलेक्टर, जिला–मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना, जिला–मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
4. मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लि. झांसी की ओर सूचनार्थ।
5. तहसीलदार, परगना बामौर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला–मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिक बेवसाईट पर अपलोड हेतु।

(बी. कार्तिकेयन)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला–मुरैना (म0प्र0)